क्रम सं.	मद	1992-93	1993-94	1994-95 (अन.)
1	चावल	975.60	1286.71	1181.21
2.	गेहूं	10.21	0.21	30.85
3	अन्य खाद्यान्न	10.16	34.02	25.67
4	तम्बाकू	474.04	461.20	248.86
5	मसाले	393.42	568.91	606.48
6	काजू	748.66	1048.20	1244.26
7	सीसम एवं नाइजरशीड	116.22	73.51	142.24
8	मूंगफली	7.72	171.12	98.64
9	तेल खाद्य एवं ग्वार गौंद खाद्य	1648.47	2434.74	1937.49
10	शैलाक	41.07	65.47	46.03
11	चीनी एवं शीरा	353.51	178.08	62.03
12	फल, सब्जियां संसाधित फल इत्यादि	812.63	1061.22	1289.05
13	स्पिरिट एंव पेय	41.65	46.01	45.81
14.	दालें	53.44	73.58	90.36
		5686.80	7532.98	7049.04

(स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, कलकत्ता) (पी) अनन्तिम

(ख) निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं

(ग) इस क्षेत्र में निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैंः निरीक्षण क्रियाविधियों का सरलीकरण, न्यूनतम निर्यात कीमत तथा चुनिन्दा मदों पर गुणवत्ता प्रतिबंधों को हटाना, रियायती ऋण का प्रावधान, अंतराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद विकास,ईओयू/ईपीजेड की योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों का कृषिक्षेत्र तक विस्तार करना तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 50% बिक्री की अनुमति देना, उक्त पैकेजिंग के लिए निर्यातकों को सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करना, ब्रान्ड संवर्धन अभियानों के जरिए अभिज्ञात उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना, क्रेता-विक्रता बैठकों का आयोजन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शानियों में भागीदारी।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

118. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, जो भारत सरकार का एक उपक्रम हैं अपने तथा अपनी सहयोगी कंपनियों के कर्मचारियों की निर्धारित तिथि एक वेतनर का भुगतान न करके श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहा हैं;

(ख) क्या इस उपक्रम द्वारा कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि की राशि भी नियमित रूप से जमा नहीं की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभापटल पर रख दी जाएगी।